डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजी. क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56] रायपुर, बुधवार दिनांक 13 मार्च, 2002 फाल्गुन 22, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 7 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936 को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

यह भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2002 है. — **संक्षिप्त नाम.**

2. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है. — **विस्तार.**

3. यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा. — **प्रारंभ.**

4. छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 3 (ख) में वर्तमान सारणी निम्नांकित सारणी द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :— **धारा 3 ख की सारणी का संशोधन.**

सारणी

अ.क्र.	जनसंख्या	प्रति केबल कनेक्शन प्रतिमाह मनोरंजन शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	1 से 10,000 तक	निरंक
2.	10,001 से 50,000 तक	रुपये 10/-
3.	50,000 से अधिक	रुपये 20/-

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) के प्रावधान अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 20,000 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में केबल आपरेटर्स से कोई मनोरंजन शुल्क नहीं लिया जा रहा है, जबकि 20,000 से 50,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में रु. 5/- एवं 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में रु. 10/- प्रति कनेक्शन प्रतिमाह केबल आपरेटर्स से मनोरंजन शुल्क लिया जा रहा है.

विभाग द्वारा मनोरंजन शुल्क की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि इस मद की आय में आशातीत वृद्धि नहीं हो रही है. अतएव निर्णय लिया गया है कि राजस्व हित में 10,000 से 20,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को भी मनोरंजन शुल्क के दायरे में लाया जाये. लिए गए निर्णय के अनुसार अब 10,001 से 50,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में रु. 10/- प्रति कनेक्शन प्रतिमाह एवं 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में रु. 20/- प्रति कनेक्शन प्रतिमाह की दर से केबल आपरेटर्स से मनोरंजन शुल्क लिया जाएगा.

उपरोक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा-3 ख की सारणी में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है. अतएव विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 27 फरवरी, 2002

रामचन्द्र सिंहदेव,
भारसाधक सदस्य

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936

धारा 3-ख

केबल आपरेटर द्वारा देय मनोरंजन शुल्क—

(1) धारा 3 या धारा 3-(ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक केबल आपरेटर ऐसी सेवा के उन अभिदाताओं को, जो होटल के कमरों या वासा के स्वामी या अधिभोगी नहीं हैं, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लिखित जनसंख्या वाले किसी स्थान या शहर में केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराता है, वह राज्य सरकार को, नीचे विनिर्दिष्ट दर से प्रतिमाह शुल्क भुगतान करेगा -

वर्तमान सारणी

अ.क्र. (1)	जनसंख्या (2)	प्रति केबल कनेक्शन प्रतिमाह मनोरंजन शुल्क की दर (3)
1.	1 से 20,000 तक	निरंक
2.	20,001 से 50,000 तक	रुपये 5/-
3.	50,000 से अधिक	रुपये 10/-

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.